निर्णय होने तक के लिए नियत प्रत्येक प्रकरण का पता लग सके। उस कालम में निर्णीत प्रकरणों का परिणाम भी स्पष्ट तौर पर अंकित किया जाना चाहिए।

(5) समाप्त काज-लिस्टों को न्यायालय में संदर्भ हेतु परिक्षित किया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण अधिकारी के एक ही दृष्टि में यह देख सके कि क्या कार्य निपटाया गया था।

(6) सूची को उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि के एक वर्ष उपरांत नष्ट किया जाएगा।

8. (क) सिविल न्यायालयों की भाषा, ऐसे अपवादों के अध्यधीन जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जायें देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी।
शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्र.2309-बीस-सी.सी. दिनांक 31 जुलाई, 1958 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा अन्य अपवादों के अलावा निम्न सिविल न्यायालयों के संबंध में वर्णित किए गए हैं:—

(1) विशेषज्ञ साक्षीगण की अभिसाक्ष्य को अभिलिखित करना।
(2) सभी सिविल न्यायालयों में निर्णय व आदेश।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 137 की उपधारा (3) के अधीन आने वाले मामले।
(ख) कोई अधिवक्ता या प्लीडर पीठासीन अधिकारी की अनुमति से न्यायालय को अंग्रेजी भाषा में तब संबोधित कर सकते हैं जबकि प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के द्वारा हो अथवा वह उस भाषा से परिचित हो व ऐसा करने की सहमति दे देता है।

9. आदेश रिट, डिक्रियों, आदेशिकाए, विक्रय प्रमाण पत्रों, डिक्रियों को संतुष्टि न होने का प्रमाण पत्र तथा प्रतिलिपियों आदि को मुद्रांकित करने के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा

be traceable in the list from the first date fixed for hearing until the date of disposal. The result of the cases disposed of should also be clearly noted in that column.
(5) Completed cause list should be preserved in Court for reference so that any inspecting officer may be able to see at a glance how the work was disposed of.
(6) The list shall be destroyed after one year from the date of the last entry therein.
8. (a) Hindi written in Devnagari script shall be the language of the Civil Courts, subject to such exemption as may be notified by the State Government from to time.
[Attention is drawn to Education Department Notification No. 2309-xx-cc the 31st July, 1958, in which the following, among other exemptions, have been mentioned as regards Civil Court —
(i) recording depositions of expert witnesses.
(ii) judgments and orders in all Civil Courts.
(iii) matters falling under sub-section (3) of section 137 of the Code of Civil Procedure, 1908].
(b) with the permission of the presiding Judge any advocate or pleader may address the Court in English, when the opposite party is represented by a counsel or is acquainted with that language and consents to this being done.
9. For sealing writs, decrees, processes, sale certificates, certificates of non-satisfaction of decrees and copies, etc. the regular seal of the Court shall be used by all judicial

न्यायालय की नियमित मुद्रा उपयोग में लाई जाएगी।

(मुद्रा के विवरण के लिए मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 22 सहपठित उच्च न्यायालय के मेमो क्रमांक 8890 दिनांक 25 जुलाई, 1959 विधि विभाग की अधिसूचना क्र.8/7375-इक्कीस-बी, दिनांक 1 जनवरी, 1959 देखें)।

9-क. सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची, आदेश 3 नियम 4 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो अपना नाम लिखने में असमर्थ हो अपनी उस रुप में नियुक्ति बाबत कोई भी लेख स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक कि निम्न रुप में किसी पढे-लिखे व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित न किया गया हो :—

"मैं क, ख उक्त द्वारा ग, घ जिसे मैं जानता हूँ व जिसने मेरे समक्ष चिन्हांकित किया है, यह घोषणा करते हुए कि उसने उसके द्वारा च, छ अधिवक्ता/प्लीडर को उपरोक्त नामांकित प्रकरण में अपनी ओर से पक्ष समर्थन हेतु नियुक्त किया है का चिन्ह प्रमाणित करता हूँ।"

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

यदि वह व्यक्ति इस प्रकार का प्रमाणीकरण प्राप्त करने में असमर्थ हूँ तो ऐसा प्रमाणीकरण पीठासीन न्यायाधीश की उपस्थिति में न्यायालय में स्वीकार किया जा सकता है जो उस दस्तावेज पर यह पृष्ठांकित करेगा कि यह दस्तावेज उसके समक्ष स्वीकार किया गया।

9-ख. किसी भी विधि या नियम के अंतर्गत हस्ताक्षर के लिए अपेक्षित न्यायिक आदेश में रबर की मुद्रा का प्रयोग वर्जित है।

2.अभिवचन, अर्जियां और शपथपत्र

क-अभिवचन, अर्जियां आदि

10. समस्त अभिवचन, अपील के ज्ञापन,

[For description of seal, see Law Department Notification No 8/7375-xxi-B, dated the 1st January, 1959, issued under section 22 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act III of 1958) read with High Court Memorandum No 8890, dated the 25th July, 1959]

9A. In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 4 of Order III, First Schedule, to the Code of Civil Procedure, the High Court is pleased to direct that an advocate or pleader shall not accept a document of his appointment as such from a person who is unable to write his name, unless it is attested by a literate person in the following form:

"I A B hereby attest the mark of C D who is known to me and who affixed this mark in may presence, declaring that he thereby appointed E F advocate/pleader, to act for him in the above named case.

Dated..... Signature.....

If the person in unable to have the document so attested it may be accepted in Court in the presence of the presiding Judge who should endorse there on that the document was accepted in his presence.

9-B. The use of rubber stamps in judicial order for signatures required to made by any law or rules is forbidden

2.- Pleadings, Petitions and Affidavits

A.- PLEADINGS, PETITIONS, ETC.

10. All pleadings, memoranda of